न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **06/2018 अपील रसद**

श्री केसुलाल पुर्बिया पिता मोड़ीलाल पुर्बिया, उचित मूल्य दुकानदार देवास, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....**अपीलार्थी**

बनाम

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, झाड़ोल

.....**रेस्पोडेंट**

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय उदयपुर प्रकरण संख्या 54/2017 रसद तारीख फैसल 10.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री विजयसिंह, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक— 08.08.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.17 को जॉच दल द्वारा अपीलान्ट की उचित मुल्य की दुकान देवास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अनियमितताऍ बतायी गई। निःशुल्क उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बर प्रदर्शित नहीं मिला, खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई सूची दुकान पर उपलब्ध नहीं मिली, डीलर ने मासिक रिटर्न की प्रति उपलब्ध नहीं करवायी। डीलर द्वारा यूनिट रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया। दुकान पर निरीक्षण के दौरान 40 राशन कार्ड एपीएल, बीपीएल, स्टेट बीपीएल श्रेणी के अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे हुए पाये जाना मानकर अपीलान्ट द्वारा ऑफ लाईन वितरण खाद्यान्न को ऑन लाईन नहीं करवाना, समय पर गेहूँ का उठाव कर उपभोक्ताओ को वितरण नहीं करना तथा केरोसीन का वितरण अपनी मनमर्जी अनुसार करना, मानकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 21.07.17 को 90 दिन के लिये निलम्बित कर दिया गया। दिये गये नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत कर दिया गया। इसके उपरान्त

अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र आदेश दिनांक 10.05.18 को निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश दिया गया जो न्याय व विधि के विपरीत होकर बिना अधिकार के हैं। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाय जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.18 निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व सिक्युरिटी राशि बहाल करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस के कथनो में निवेदन किया कि वक्त निरीक्षण उचित मुल्य दुकान देवास तहसील झाड़ोल पर स्टॉक के मुकाबले भौतिक सत्यापन किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितताएँ प्राप्त नहीं हुई। नाही वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई शिकायत या अनियमितताएँ पायी गई। जिस पर जॉच दल द्वारा तकनीकि त्रुटियो के आधार पर अपनी जॉच रिपोर्ट में वर्णन करते हुए जॉच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी द्वितीय उदयपुर को प्रस्तुत की गई जिनके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए दिनांक 21.07.17 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र 90 दिन के लिये निलम्बित कर दिया गया एवं अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया एवं श्री विजयसिंह जी, प्रवर्तन अधिकारी झाड़ोल द्वारा एक रिपोर्ट भी श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वितीय, उदयपुर को दिनांक 26.04.18 को पेश की गई हैं। जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 22 पर लगी हुई है उसमें भी उनके द्वारा लिखा है कि जॉच दल की जॉच अनुसार डीलर ने गेहूँ केरोसीन व चीनी का दुरूपयोग/ गबन एवं कालाबाजारी आदि नही की गई तथा क्षेत्र के उपभोक्ताओ की वितरण बाबत कोई शिकायत नहीं हैं। अतः वितरण व्यवस्था को देखते हुए डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल करने की अनुषंसा की जाती हैं। इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिनांक 10.05.18 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि राज्य

सरकार के परिपत्र दिनांक 10.10.89 के अनुसार छोटी छोटी बातो के लिये तंग नहीं किया जावें। तकनीकि त्रुटियो पर मुकदमें नहीं बनाये जावें। साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.05.18 में भी यह व्यवस्था प्रदान की गई है कि 90 दिन के लिये प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाता है तो निलम्बन अवधि पुर्ण हो जाने के पश्चात् वितरण व्यवस्था पुनः डीलर को प्रदान की जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो को नजरअंदाज करते हुए एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया है जिसे तत्काल निरस्त फरमाया जावें। अपनी बहस की ताईद में ईएफआर 2006(1) पेज 533, ईएफआर 2011(1) पेज 165, ईएफआर 2011(1) पेज 398, ईएफआर 2011(1) पेज 400 एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के एसबीसिविल रिट पिटीशन संख्या 16264/2017 खेमराज बनाम सरकार की नजीरे प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने जॉच दल द्वारा चाहा गया रेकार्ड मौके पर उपलब्ध नहीं करवाया नाही कोई सतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया। अपीलार्थी की कस्टडी से 40 राशनकार्ड ए.पी.एल. बी.पी.एल. स्टेट बी.पी.एल. श्रेणी के अवैध रूप से पाये गये। युनिट रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं करवाया। परिवारो की ई–सूची दुकान पर नहीं मिली। दुकानदार द्वारा ऑफलाईन वितरण किया जाता रहा था। समय पर गेहूॅ का उठाव भी नहीं किया जा रहा था जिससे वितरण व्यवस्था बाधित होती। विभागीय निर्देशो के विपरीत उपभोक्ताओ को तीन लीटर केरोसीन दिया जा रहा था। इत्यादि गम्भीर अनियमितताओ के कारण प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी को इसी स्तर पर खारीज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन एवं प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रवर्तन अधिकारी झाड़ोल की रिपोर्ट के अनुसार डीलर द्वारा किसी राशन सामग्री का दुरूपयोग/ गबन एवं कालाबाजारी नहीं की गई हैं। नाही उसकी वितरण व्यवस्था के संबंध मे कोई शिकायत हैं। साथमें

ई–मित्र सेवा केन्द्र गारोणा देवास के डीलर भीमराज द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया गया है कि ग्राम पंचायत देवास के राशनकार्ड फार्म डीलरो द्वारा प्राप्त किये एवं राशनकार्ड भी उनको ही बनाकर दिये गये थे। माह जुलाई 2017 के अन्दर यानिकी डीलर के पास में उपलब्ध राशनकार्ड ई–मित्र के संचालक द्वारा अपीलार्थी को उपभोक्ताओ में वितरण किये जाने हेतु दिये गये हैं। अपीलार्थी की ऐसी कोई गम्भीर अनियमितता नहीं है जिसके आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जावें। जबकि माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 16264/2017 आदेश दिनांक 10.05.18 के अनुसार 90 दिन के लिये लाईसेन्स निलम्बित करते हुए भी एक वर्ष तक लाईसेन्स बहाल नहीं किये जाने से वितरण व्यवस्था तुरन्त चालु करने का आदेश दिया गया हैं। विभागीय निर्देशो से अधिक केरोसीन का वितरण किये जाने का जो आरोप अपीलार्थी पर आरोपित किया गया है उससे मैं सहमत नहीं हुॅ क्योंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो आदेश दिया गया है वह भी 3 लीटर से ही दिया गया हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किये जाने के आदेश दिये जाकर तुरन्त प्रभाव से सेन्टर की वितरण व्यवस्था अपीलार्थी को दी जावें एवं की गई तकनीकि त्रुटियो से की गई गलतियों हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 10.05.18 को इस हद तक यथावत रखा जाता है कि उसकी प्रतिभूति राशि जब्त की जावें।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर